# The Madhya Pradesh Sahayata Upkram (Vishesh Upabandh) Adhiniyam, 1978

## विधि और विधायी कार्य विभाग

**भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 1978**

क्र. 51044–इक्कीस–अ(प्रा.)–मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 7 नवम्बर 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व–साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
के. गो. पाटील, उपसचिव

## मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक 32 सन् 1978

### मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978

## विषय – सूची

**धाराएं –**


1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार
2. परिभाषाएं
3. सहायता उपक्रम की घोषणा
4. कतिपय अधिनियमितियों तथा संविदाओं, करों आदि का सहायता उपक्रम को लागू हो ना.
5. सहायता उपक्रम के विरूद्ध वादों या अन्य विधिक कार्यवाहियों का निलम्बन.
6. धारा 4 के अधीन की अधिसूचना का अवध्यारोही प्रभाव.
7. कतिपय , अधिकारों आदि का निलम्बन या, उपान्तरण, कार्यवाहियों का रोक दिया जाना, उन का पुनरूज्जीवित होना तथा उनका चालू रखा जाना.
8. परिसीमा–काल.
9. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.
10. नियम बनाने की शक्ति.
11. निरसन.

अनुसूची.

# मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 32 सन् 1978

## मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1978

(दिनांक 27 नवम्बर, 1978 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण) में दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.)

उन औद्योगिक उपक्रमों, जिन्हें कि बेकारी का निवारण करने के या बेकारी से राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में चलाना आवश्यक माना गया है, से संबंद्ध औद्योगिक संबंधों, वित्तीय बाध्यताओं तथा अन्य वैसे ही विषयों की बाबत एक सीमित कालावधि के लिए विशेष उपंबंध करने के लिये राज्य सरकार को समर्थ बनाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**संक्षिप्त नाम तथा विस्तार**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

**परिभाषा**

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1) ''सरकारी कम्पनी'' का वही अर्थ है जो कि उसे कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 617 में दिया गया हो,

(2) ''उद्योग'' से अभिप्रेत है नियोजकों का कोई भी कारबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका और उसके अन्तर्गत कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय आता है तथा शब्द ''औद्योगिक'' का तदनुसार अर्थ लगया जायगा,

(3) ''सहायता उपक्रम'' से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा राज्य औद्योगिक उपक्रम जिसके कि संबंध में धारा 3 के अधीन की कोई घोषणा प्रवृत्त हो,

(4) ''राज्य औद्योगिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम, –

(क) जिसे राज्य सरकार या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा आरम्भ किया गया हो या जिसे या जिसके प्रबंध को राज्य सरकार या किसी सरकारी कम्पनी ने किसी विधि या करार के अधीन अर्जित किया हो या अन्यथा ग्रहण किया हो और जिसे राज्य सरकार या किसी सरकारी कम्पनी ने किसी विधि या करार के अधीन अर्जित किया हो या अन्यथा ग्रहण किया हो और जिसे राज्य सरकार या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाता हो या चलाये जाने की प्रस्थापना की गई हो, या

(ख) जिसे राज्य सरकार या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा कोई उधार के संबंध में राज्य सरकार या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा प्रत्यावृत्ति दी गई हो, या

(ग) जिसके संबंध में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (क्रमांक 65 सन् 1951) के अधीन का कोई अधिसूचित आदेश प्रवर्तन में हो.

**सहायता उपक्रम की घोषणा**

3. राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बेकारी का निवारण करने या बेकारी से राहत प्रदान करने के उपाय के रूप में किसी राज्य औद्योगिक उपक्रम को निरन्तर चलाया जा सकने या पुनः चालू किया जा सकने की दृष्टि से लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि वह राज्य औद्योगिक उपक्रम में, ऐसी तारीख को तथा उसे और ऐसी कालावधि के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, एक सहायता उपक्रम होगा;

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, प्रथमतः एक वर्ष से अधिक नही होगी, किन्तु उसे, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, किसी ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि किसी एक समय में एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार बढ़ाया जा सकेगा कि जिससे ऐसी कालावधियां कुल मिलाकर सात वर्ष से अधिक न हो जायं.

**कतिपय अधिनियमितियों तथा संविदाओं करारों आदि का सहायता उपक्रम लागू होना.**

4. राज्य सरकार, उस दशा में जबकि उसका वह समाधान हो जाय कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी :–

(क) किसी सहायता उपक्रम के संबंध में वे समस्त अधिनियमितियां, जो कि इस अधिनिमय की, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है, या उनमें से कोई भी

अधिनियमिति लागू नही होगी/होंगी या उपान्तरण, परिवर्धन या लोप (जो कि किसी भी प्रकार उक्त अधिनियमितियों की नीति पर प्रभाव न डालता हो) के रूप में किये गये ऐसे अनुकूलीकरण के साथ लागू होगी/होंगी जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, या

(ख) यह कि राज्य औद्योगिक उपक्रम को सहायता उपक्रम घोषित किया जाने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त संविदाओं, संपत्ति हस्तांतरण पत्रों, करारों, निपटारों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (जिनका कि एक पक्षकार कोई सहायता उपक्रम हो या जो किसी भी सहायता उपक्रम को लागू हो) का या उनमें से किसी भी संविदा, संपत्ति, हस्तांतरण पत्र, करार, निपटारे पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखत का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा या यह कि उसके/उनके अधीन उक्त तारीख के पूर्व प्रोद्भूत या उद्धृत होने वाले समस्त अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व या उनमें से कोई भी अधिकार, पिवशोषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्वद निलम्बित रहेंगे या ऐसे उपान्तरणों के साथ तथा ऐसी रीति में, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो प्रवर्तनीय होंगे.

**सहायता उपक्रम के विरूद्ध वादों या अन्य विधिक कार्यवाहियों का निलंबन**

5. किसी भी विधि प्रथा, रूढ़ि, संविदा, लिखित, डिक्री, आदेश, पंचाट, निपटारे या अन्य किन्ही भी उपबंधों के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से औद्योगिक उपक्रम के विरूद्ध उस कालावधि के दौरान जिसमें कि वह सहायता उपक्रम रहे, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित या प्रारम्भ नही की जायेगी या यदि वह लंबित हो, तो उसके संबंध में अग्रसर नहीं हुआ जायगा.

**धारा 4 के अधीन की अधिसूचना का अध्यारोही प्रभाव.**

6. धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना, किसी अन्य विधि, करार या लिखत या किसी न्यायालय; की अधिकरण अधिकारी या अन्य प्राधिकारी की किसी डिग्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी.

**कतिपय उपचारों अधिकारों आदि का निलंबन या उपान्तरण, कार्यवाहियों को रोक दिया जाना, उनका पुनरूज्जीवित होना तथा उसका चालू रखा जाना**

7. धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये तथा उस धारा के अधीन की किसी अधिसूचना द्वारा निलंबित किये गये या उपान्तरित किये गये किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के प्रवर्तनार्थ कोई भी उपचार, उस अधिसूचना के

निबंधनों के अनुसार, निलम्बित या उपान्तरित किया जायगा और उससे (उपचार से) संबंधित वे समस्त कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, तदनुसार रोक दी जायगी या ऐसे उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए इस प्रकार चालू रखी जायेगी कि जिससे उस अधिसूचना के प्रभावहीन हो जाने पर –

(क) कोई भी अधिकार, विशोषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो कि इस प्रकार निलंबित या उपान्तरित किया गया हो, पुनरूज्जीवित हो जायगा, और इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानों कि वह अधिसूचना कभी जारी ही नहीं की गई थी, और

(ख) इस प्रकार रोक दी गई कोई कार्यवाही, किसी भी ऐसी विधि, जो इस समय प्रवृत्त हो, के उपबन्धां के अध्यधीन रहते हुए, उस प्रक्रम से शुरू की जायगी जिस प्रक्रम पर कि वह कार्यवाही उस समय पहुंची थी जबकि उस कार्यवाही को रोक दिया गया था.

**परिसीमा–काल**

8. धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये किसी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के प्रवर्तन के लिये परिसीमा–काल की संगणना करने में वह कालावधि अपवर्जित कर दी जायगी जिसके कि दौरान उस अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को या उस उपचार को, जो कि उस अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के प्रवर्तन के लिये था, निलंबित किया गया था.

**अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.**

9. (1) राज्य सरकार, अधिसचूना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी और वह अनुसूची तद्नुसार संशाधित हो जायेगी ;

परन्त संसद् द्वारा बनाये गये किन्ही अधिनियमों को अनुसूची में सम्मिलित करने के लिये अनुसूची का संशोधित करने वाली कोई भी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से ही जारी की जायगी अन्यथा नहीं.

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी और मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज एक्ट, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24–ए के उपलब्ध उसको उसी प्रकार लागू होंगे जिस पर कि वह किसी नियम को लागू होते हैं.

**नियम बनाने की शक्ति**

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम; पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों के लिये या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :–

(क) कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें तथा उनका कार्यभार तथा कम्रचारी वृन्द को देय वेतन, बोनस, उपदान प्रतिकर का संदाय तथा अन्य प्रसुविधायें,

(ख) वह रीति जिसमें सहायता उपक्रम को चलाया जाना चाहिये,

(ग) सहायता उपक्रम को मितव्ययिता से चलाने के लिये नियोजित किये जाने वाले कर्मचारीवृन्द तथ श्रमिकों की संख्या,

(घ) वह रीति जिसमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि या अधिशेष निधियों का विनियोजन या व्ययन किया जाना चाहिये,

(ड़) उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लाभों की प्रतिशतता तथा उसका उपयोग किया जाने की रीति,

(च) वह रीति जिसमें तथा वह सीमा जिस तक कि कर्मकारों के प्रतिनिधि सहायता उपक्रम के प्रबंध में सहमेलित किये जा सकेंगे या उसके प्रबंध में भाग ले सकेंगे.

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे.

11. मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (क्र. 25 सन् 1965) एतद्द्वारा निरसन, निरस्त किया जाता है. **निरसन**

## अनुसूची

### (धारा 4 देखिये)

1. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (क्रमांक 20 सन् 1946).
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947)
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948)
4. मध्यप्रदेश शाप्प एण्ड एस्टेब्लिशमेण्डटस एक्ट, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958)
5. मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960)

6. मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल एम्पलायमेंट स्टेडिंग्र आईर्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 26 सन् 1961).

**भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 1978**

क्र. 51045–इक्कीस–अ(प्रा.)–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. गो. पाटील. उपसचिव**